बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैठक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं०सं०-नि०प्रा०/नि० 1-57/2009 -406 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)

सभी नोडल पदाधिकारी

सभी अनुमंडल पदाधिकारी

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी

सभी निर्वाचन पदाधिकारी।

विषय :- पैक्स निर्वाचन : मतदान केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य (electioneering) **पर रोक एवं विधि-व्यवस्था के संधारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के बाहर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा अपना-अपना निर्वाचन केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जाती है ताकि मतदाताओं को गैर आधिकारिक पहचान स्लिप (unofficial identity slip) देकर पीठासीन पदाधिकारी/मतदान अधिकारी के पास भेजा जाए जो उस गैर आधिकारिक स्लिप में अंकित मतदाता के क्रमांक/नाम को देखकर अपने पास रखी गई मतदाता सूची में उसका नाम तुरंत ढूंढ सकें। कहीं-कहीं से ऐसे निर्वाचन केन्द्रों पर विभिन्न अभ्यर्थियों के समर्थकों/मतदाताओं के बीच संघर्ष होने की नौबत भी उत्पन्न हो जाती है।

2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(7) के प्रावधान इस संबंध में प्रासंगिक हैं-

मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध - (i) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

3. हाँलाकि संसदीय/विधानसभा/पंचायत चुनावों में मतदान केन्द्र से 200 मीटर का क्षेत्र बिल्कुल खाली रखा जाता है, किन्तु 200 मीटर के बाहर के क्षेत्र में कुछ शर्त्तो के अधीन गैर आधिकारिक (non official) निर्वाचन केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। चूँकि पैक्स ऐसे सदस्यों का संगठन है जो स्वयं एवं परस्पर हित की संवृद्धि के लिए बनाया गया है, सदस्य एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते है। अत: पैक्स निर्वाचन के समय किसी गैर आधिकारिक निर्वाचन केन्द्र की स्थापना किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। **अत: प्राधिकार मतदान के दिन गैर आधिकारिक निर्वाचन केन्द्र की स्थापना करने को प्रतिबंधित करता है।** इस निदेश का उल्लंघन किया जाना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 6(7) के अधीन दंडनीय होगा। मतदान केन्द्र के निकट सड़क किनारे टेबुल/कुर्सी/चटाई/छोटी दरी आदि डालकर या मतदान केन्द्र के निकट अवस्थित किसी परिसर को गैर आधिकारिक निर्वाचन केन्द्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, जहाँ पैक्स के मतदाता इच्छा रहने पर जा सकते हैं।

4. अगर यह पाया जाता है कि किसी पदाधिकारी ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्परातापूर्वक तथा त्वरित कार्रवाई करने में चूक अथवा लापरवाही की है, तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

5. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रति सभी अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को नामांकन भरने के समय **(नोट करें, नामांकन के समय, न कि संवीक्षा के समय)** पावती रसीद पर उपलब्ध करा दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी यथाशक्य स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी आयोग के निदेशों को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु परिचारित कराने की व्यवस्था कराएंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 406 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

मुख्य चुनाव पदाधिकारी